प्रकीर्ण वाद संख्या- १०५/२०२० (एम.ए.सी.पी. सं. ३५४/२०१८)
राम रतन आदि बनाम अशोक कुमार आदि,
२८.०९.२०२०

३बी प्रार्थनापत्र प्रार्थीगण/याचीगण राम रतन एवं श्रीमती पार्वती पत्नी राम रतन द्वारा इस आशय से प्रस्तुत किया गया है, कि उपरोक्त याचिका में न्यायाधिकरण द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनाँकित २४.०२.२०२० के अनुसार मुब. ७,७३,४४०/-रु. मय ७.५ प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज हेतु एवार्ड पारित किया गया था। उक्त एवार्ड की धनराशि का १० प्रतिशत भाग मय ब्याज विपक्षी सं. ४ यूनाईटेड इण्डिया इंश्योरेन्स कम्पनी लि. को अदा करना था तथा शेष ९० प्रतिशत भाग विपक्षी सं. १ अशोक कुमार व विपक्षी सं. ५ पार सिंह को अदा करना था। विपक्षी सं. ४ बीमा कम्पनी ने अपने भाग की १० प्रतिशत क्षतिपूर्ति धनराशि न्यायाधिकरण के खाते में जमा कर दी है, जिसे प्रार्थीगण उठा पाने के अधिकारी हैं। अतः प्रार्थीगण ने उक्त जमाशुदा धनराशि उन्हें दिलाए जाने की याचना की है। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थनापत्र के समर्थन में ४सी२ शपथपत्र राम रतन, अपने-अपने आधार कार्ड व बैंक खाते की पासबुक की छाया प्रतियाँ दाखिल की गयी हैं।

प्रार्थीगण न्यायाधिकरण के समक्ष मय विद्वान अधिवक्ता वर्चुअल न्यायालय में उपस्थित आये। प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता को वर्चुअल न्यायालय में सुना गया तथा एम.ए.सी.पी. सं.३५४/२०१८ राम रतन आदि बनाम अशोक कुमार आदि की पत्रावली व प्रस्तुत प्रकीर्ण वाद की पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी राम रतन ने शपथपत्र ४सी२ में अपने प्रार्थनापत्र के कथनों का समर्थन किया है तथा यह भी कथन किया है कि उक्त प्रकरण में न्यायाधिकरण के उक्त आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में कोई भी अपील प्रस्तुत नहीं की गई है न ही कोई स्थगन आदेश है। मूल पत्रावली एम.ए.सी.पी. सं. ३५४/२०१८ में पारित निर्णय/आदेश दिनाँकित २४.०२.२०२० के अवलोकन से विदित होता है, कि प्रस्तुत प्रकरण में न्यायाधिकरण द्वारा ७,७३,४४०/-रु. मय ७.५ प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज हेतु एवार्ड पारित किया गया था। उक्त एवार्ड की धनराशि का १० प्रतिशत भाग मुब. ७७,३४४/-रु. मय ब्याज विपक्षी सं. ४ यूनाईटेड इण्डिया इंश्योरेन्स कम्पनी लि. को अदा करना था तथा शेष ९० प्रतिशत भाग मुब. ६,९६,०९६/- रु. विपक्षी सं. १ अशोक कुमार व विपक्षी सं. ५ पार सिंह को अदा करना था। उक्त एवार्ड के अनुसार क्षतिपूर्ति की धनराशि याचीगण को बराबर-बराबर भाग में प्राप्त होनी है तथा प्रत्येक को प्राप्त होने वाली धनराशि का ८० प्रतिशत भाग सर्वोच्च ब्याज दर देने वाली सावधि जमा योजना में ५ वर्ष के लिए किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में रखे जाना है, जिसका प्रतिमाह ब्याज याचीगण प्राप्त करते रहेंगे। कार्यालय आख्या के अनुसार चेक रजिस्टर के क्रमांक ८५ पर मुब. ८७,५७९/-रु. पी.एन.बी. झोकनबाग में जमा होने का इन्द्राज है। प्रार्थीगण द्वारा अपने-अपने खाते की छाया प्रतियाँ दाखिल की गयी है। इस प्रकार उक्त से स्पष्ट है कि विपक्षी बीमा कम्पनी ने अपने 10% भाग की क्षतिपूर्ति धनराशि मय ब्याज मुब. ८७५७९/- रु. पी.एन.बी. झोकनबाग में न्यायाधिकरण के खाते में जमा कर दी है, जिसे प्रार्थीगण न्यायाधिकरण के उक्त आदेशानुसार उठा पाने के अधिकारी हैं।

आदेश

पंजाब नेशनल बैंक शाखा झोकनबाग, झाँसी को आदेशित किया जाता है कि वह एम.ए.सी.पी. सं. ३५४/२०१८ (प्रकीर्ण वाद सं. १०५/२०२० राम रतन आदि बनाम अशोक कुमार आदि) के प्रकरण में जमा उक्त क्षतिपूर्ति धनराशि प्रार्थीगण को निम्न सारिणी के अनुसार को भुगतान कर देंः-

Applicant/ Petitioner	Amount in Rs.	+(%of) Interest Accrued on Deposited Amount	Mode of Disbursment	Bank Account Number	Bank	IFSC Code
1. Ram Ratan	35032	40	Anuity for 5 Years	___	Any Nationalized Bank	____
1. Ram Ratan	8758	10	Elect. Mode RTGS/NEFT	9430100062503	Prathma U.P. Gramin Bank	PUNBOSUPGB5

Digitally signed by CHANDRODAY KUMAR
Date: 2020.11.21 16:44:27 IST
Reason: PO
Location: MACT JHANSI

					Erach, Jhansi	
2. Smt. Parvati	35032	40	Anuity for 5 Years	___	Any Nationalized Bank	____
2. Smt. Parvati	8758	10	Elect. Mode RTGS/NEFT	94300100062961	Prathma U.P. Gramin Bank Erach, Jhansi	PUNBOSUPGB5
Total	87579	100				

तदनुसार अनुपालन आख्या तत्काल जरिये ई-मेल एवं वाट्सएप न्यायाधिकण को प्रेषित की जाय। ३बी प्रार्थनापत्र तदनुसार निस्तारित। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(चंद्रोदय कुमार)
21.11.2020 पी.ओ.,
एम.ए.सी.टी., झाँसी।

Seen the report of PNB. It is informed that annuity of Rs. Less than 36000 cannot be made, hence word annuity be deemed as FD.

PO
MACT JHANSI